रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 423] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 24, 2019/श्रावण 2, 1941
No. 423] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 24, 2019/SHRAVANA 2, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2019

सा.का.नि. 523(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 64 और धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जब इस अधिसूचना की प्रतियां, भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा।

2. कोई आक्षेप या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

3. आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (एमवीएल), ई-मेल jspb-morth@gov.in, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इन नियमों को केंद्रीय मोटर यान (संशोधन ....) नियम, 2019 कहा जा सकता है।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. केंद्रीय मोटर वाह्न नियम, 1989 में (इसमें इसके बाद उक्त नियमों के रूप में संदर्भित),

(i) नियम 62 में निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

(1) खंड (ख) उप-नियम (1) में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात-

"*(ख)* (i) 15 वर्षों तक पुराने परिवह्न वाह्नों के संबंध में फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीकरण;	आठ वर्ष तक पुराने वाह्नों के लिए दो वर्ष तथा आठ वर्ष से अधिक पुराने वाह्नों के लिए एक वर्ष।
(ii) 15 वर्ष से अधिक पुराने परिवह्न वाह्नों के संबंध में फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीकरण।	छह माह"

(2) उप-नियम (1) में, परंतुक में, तालिका में; क्रम सं. 19 में पड़ने वाली पंक्ति से संबंधित कॉलम 1 से 8 में प्रविष्टियों में तालिका की क्र. सं. 18 में पंक्ति के पश्चात निम्नलिखित तालिका में अंत:स्थापित किया जाएगा।

क्र. सं.	मद	फिटमेंट की जाँच	मूल उपकरण सिफारिशों के अनुसार बनावट / प्रकार / रेटिंग आदि	स्थिति की जाँच	कार्य पद्धति की जाँच	परीक्षण	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(19)	प्राथमिकता सीट, चिह्न, बैसाखी/छड़ी/वॉकर, हैंड रेल/सुरक्षित खंभे, प्राथमिक सीटों पर नियंत्रण और दिव्यांग व्यक्तियों या चलने फिरने में अक्षम यात्रियों के लिए व्हील चेयर प्रवेश/स्थान/व्हील चेयर के लिए लॉक लगाने की व्यवस्था।	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	यथा-अनुप्रयोज्य सीएमवीआर, 1989 के नियम 125 ग के उप-नियम (1) और (7) में संदर्भित बस बॉडी कोड में निर्धारित प्रावधानों का सत्यापन।

(ii) नियम 81 में निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

(1) प्रथम परंतुक के पश्चात निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

“बशर्ते यह भी कि निम्नलिखित तालिका में क्र. सं. 4 में दी गई श्रेणियों के 2 (प) में यथा परिभाषित बैटरी संचालित वाह्नों को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने या नवीकरण करने और नए पंजीकरण चिह्न सौंपे जाने के प्रयोजनार्थ फीस के भुगतान से छूट प्रदान की जाएगी;

बशर्ते यह भी कि निम्नलिखित तालिका में क्र. सं. 4 में दी गई श्रेणियों के नए खरीदे गए मोटर वाह्नों के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने और नए पंजीकरण चिह्न सौंपे जाने के प्रयोजनार्थ फीस के भुगतान से इस शर्त के अध्यधीन छूट प्रदान की जाएगी कि उस मोटर वाह्न को अधिकृत स्क्रेपिंग केन्द्र / एजेंसी द्वारा जारी उसी श्रेणी के पहले स्वामित्व वाले वाह्न के स्क्रेपिंग प्रमाणपत्र के साथ पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है तथा उस स्क्रेपिंग प्रमाणपत्र का अतीत में किसी भी अन्य इस तरह के मामलों के लिए उपयोग नहीं किया गया है।”;

(2) तालिका में क्र. सं. 4 में पड़ने वाली पंक्तियों से संबंधित कॉलम 1 से 5 में प्रविष्टियों को निम्नलिखित तालिका की क्र.सं. 4 में पड़ने वाली पंक्तियों से संबंधित कॉलम 1 से 5 में प्रविष्टियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्

क्र. सं.	उद्देश्य	धनराशि	नियम	धारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	पंजीकरण प्रमाणपत्रों को जारी करना, नवीकरण और नए पंजीकरण चिह्न को सौंपना		47 (1) 52 (1) 54 (1) 76 (1) 78 (1)	
	(क) अशक्त वाहन	---		
	(ख) मोटर साइकिल (1) नया पंजीकरण (2) पंजीकरण का नवीकरण	एक हजार रुपये दो हजार रुपए		
	(ग) तिपहिया वाहन / क्वाड्रिसाइकल (1) नया पंजीकरण (2) पंजीकरण का नवीकरण	पांच हजार रुपये दस हजार रुपये		
	(घ) हल्के मोटर वाहन: गैर परिवहन (1) नया पंजीकरण (2) पंजीकरण का नवीकरण	पांच हजार रुपये पंद्रह हजार रुपये		
	(ड.) हल्के मोटर वाहन: परिवहन (1) नया पंजीकरण (2) पंजीकरण का नवीकरण	दस हजार रुपये बीस हजार रुपये		
	(च) मध्यम आकार के माल / यात्री वाहन (1) नया पंजीकरण (2) पंजीकरण का नवीकरण	बीस हजार रुपये चालीस हजार रुपये		
	(छ) माल / यात्री के भारी वाहन (1) नया पंजीकरण (2) पंजीकरण का नवीकरण	बीस हजार रुपये चालीस हजार रुपये		
	(ज) आयातित मोटर वाहन (दो/तीन पहिया) - (1) नया पंजीकरण (2) पंजीकरण का नवीकरण	पांच हजार रुपये दस हजार रुपये		
	(झ) आयातित मोटर वाहन (चार या अधिक पहिया) (1) नया पंजीकरण (2) पंजीकरण का नवीकरण	बीस हजार रुपये चालीस हजार रुपये		
	(ञ) नए पंजीकरण के साथ-साथ पंजीकरण के नवीकरण के कोई अन्य वाहन जिसका ऊपर उल्लेख नहीं किया गया है	तीन हजार रुपये		
	नोट 1: यदि पंजीकरण का प्रमाणपत्र फॉर्म 23ए में जारी या नवीकृत किया गया स्मार्ट कार्ड है तो दो सौ रुपये का			

	अतिरिक्ति शुल्क उदगृहीत किया जाएगा। **नोट 2**: मोटर साइकिलों के संबंध में प्रत्येक माह या उसके भाग के विलंब के लिए पंजीकरण का प्रमाणपत्र के नवीकरण हेतु आवेदन में विलंब के मामले में तीन सौ रुपये का अतिरिक्त शुल्क तथा अन्य श्रेणियों के गैर-परिवहन वाहनों के संबंध में प्रत्येक माह या उसके भाग के विलंब के लिए पांच सौ रुपये उदगृहीत किए जाएंगे।			

(3) तालिका में क्र. सं. 10 में पहली पंक्ति के दूसरे कॉलम में शब्दों अर्थात्, "फिटनेस प्रमाणपत्र प्रदान करने और नवीकरण के लिए किसी वाहन का परीक्षण" के पश्चात अंत में शब्दों "15 वर्ष तक पुराने" को अंत:स्थापित किया जाएगा;

(4) तालिका में क्र. सं. 10 में पड़ने वाली पंक्ति से संबंधित कॉलम 1 से 5 में प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित तालिका में क्र. सं. 10ए में पड़ने वाली पंक्तियों से संबंधित कॉलम 1 से 5 में प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात् .-

क्र. सं.	प्रयोजन	राशि	नियम	धारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10ए	15 वर्ष से अधिक पुराने मोटर वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने और नवीकरण हेतु वाहन का परीक्षण किया जाना।		62 (2)	
	(क) मोटर साइकिल	मैनुअल: चार सौ रुपये स्वचालित: आठ सौ रुपये		
	(ख) तीन पहिया या हल्के मोटर वाहन या क्वाड्रिसाइकल	मैनुअल: आठ सौ रुपये स्वचालित: बारह सौ रुपये		
	(ग) मध्यम आकार के या भारी मोटर वाहन	मैनुअल: बारह सौ रुपये स्वचालित: दो हजार रुपये		
	(घ) कोई अन्य प्रकार/ श्रेणी का वाहन	मैनुअल: आठ सौ रुपये स्वचालित: बारह सौ रुपये		

(5) तालिका में क्र. सं. 11 के दूसरे कॉलम में शब्दों अर्थात "मोटर वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र जारी या नवीकरण" के पश्चात अंत में शब्दों "15 वर्ष तक पुराने" को जोड़ा जाएगा;

(6) तालिका में क्र. सं. 11 में पड़ने वाली पंक्ति से संबंधित कॉलम 1 से 5 में प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित तालिका में क्र. सं. 11ए में पड़ने वाली पंक्तियों से संबंधित कॉलम 1 से 5 में प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात् .-

क्र. सं.	प्रयोजन	राशि	नियम	धारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11ए	15 वर्ष से अधिक पुराने मोटर वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र जारी या नवीकरण।	चार सौ रुपये **नोट:** फिटनेस प्रमाणपत्र की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक दिन के विलंब के लिए पचास रु. का अतिरिक्त शुल्क उदगृहीत किया	62 (2)	

		जाएगा।		

[फा. सं. आरटी-11028 / 02 / 2019-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांकित 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. ....(अ), दिनांकित .... द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2019

G.S.R. 523(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 64 and section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of 30 days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL),email: jspb-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement.-(1)these rules may be called as the Central Motor Vehicles (Amendment………) Rules, 2019.

(2) These rules shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (herein after referred as the said rules),

(i) in rule 62, following shall be inserted, namely.-

(1) in sub-rule (1), clause (b), shall be substituted by the following namely.-

"(b)(i) renewal of certificate of fitness in respect of transport vehicles up to 15 years old;	Two years for vehicles up to eight years old and one year for vehicles older than eight years.
(ii) renewal of certificate of fitness in respect of transport vehiclesolder than 15years.	Six months"

(2) in sub-rule (1), in the proviso, In the TABLE; entries in column 1 to 8 relating to row falling under sr. no. 19, in table given below shall be insertedafter the row at sr. no. 18 of the TABLE.

Sr. No.	Item	Check Fitment	Check makes/ type/ rating etc. as per original equipment recommendations.	Check condition	Check functioning	Test	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(19)	Priority Seats, Signs, securing of crutches/canes/walkers,	Yes	No	Yes	Yes	No	Verification of the provisions stipulated in Bus

	hand rail/stanchions, controls at priority seats and wheel chair entry/housing/locking arrangement for wheel chair for Differently Abled Passengers or Passengers with reduced mobility.						Body Code referred in sub-rule (1) and (7) of rule 125C of CMV R 1989, as applicable.

(ii) in rule 81, following shall be inserted, namely.-

(1) after the first proviso following shall be inserted, namely.-

"Provided further that, the Battery Operated Vehicles as defined in 2(u); of the categories given at sr. no. 4 of the below mentioned TABLE shall be exempted for the payment of fees for the purpose of issue or renewal of registration certificate and assignment of new registration mark;

Provided further that, the newly purchased Motor Vehicles of the categories given at sr. no. 4 of the below mentioned TABLE shall be exempted for the payment of fees for the purpose of issue of registration certificate and assignment of new registration marksubject to condition thatmotor vehicle is presented for the registration along with the scrapping certificate of the previously owned vehicle of same category issued by the authorised scrapping centre/agency and the scrapping certificate not utilised for any other such cases in past." ;

(2) In the TABLE, entries in column 1 to 5 relating to rows falling under sr. no. 4 shall be substituted by the entries in column 1 to 5 relating to rows falling under sr. no. 4 of the following table namely.-

Sr. No.	Purpose	Amount	Rule	Section
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Issue, renewal of certificates of registration and assignment of new registration mark.-		47(1) 52(1) 54(1) 76(1) 78(1)	
	(a) Invalid carriage	---		
	(b) Motor cycle.- (1) New registration (2) Renewal of registration	 One thousand rupees Two thousand rupees		
	(c) Three wheeler/Quadricycle.- (1) New registration (2) Renewal of registration	 Five thousand rupees Ten thousand rupees		
	(d) Light motor vehicle: Non Transport.- (1) New registration (2) Renewal of registration	 Five thousand rupees Fifteen thousand rupees		
	(e) Light motor vehicle: Transport.- (1) New registration (2) Renewal of registration	 Ten thousand rupees Twenty thousand rupees		
	(f) Medium Goods/Passenger vehicle.- (1) New registration (2) Renewal of registration	 Twenty thousand rupees Forty thousand rupees		
	(g) Heavy Goods/Passenger vehicle.- (1) New registration	 Twenty thousand rupees		

	(2) Renewal of registration	Forty thousand rupees		
	(h) Imported motor vehicle (Two/Three wheeled).- (1) New registration (2) Renewal of registration	 Five thousand rupees Ten thousand rupees		
	(i) Imported motor vehicle (Four or more wheeled).- (1) New registration (2) Renewal of registration	 Twenty thousand rupees Forty thousand rupees		
	(j) Any other vehicle not mentioned above for New registration as well as Renewal of registration	Three thousand rupees		
	Note 1: Additional fee oftwo hundred rupees shall belevied if the certificate ofregistration is a smart card type issued orrenewed in Form 23A. **Note 2**: In case of delay in applying for renewalof certificate of registration, an additional fee ofthree hundred rupees for delay of every monthor part thereof in respect of motor cycles andfive hundred rupees for delay of every month orpart thereof in respect of other classes of no transport vehicles shall be levied.			

(3) In the TABLE,in the second column of the first row at the Sr. No 10.,after the words namely "Conducting test of a vehicle for grant and renewal of certificate of fitness", at the end words "up to 15 years old " shall be inserted;

(4) In the TABLE,after the entries in column 1 to 5 relating to rowfalling under sr. no. 10.., the entries in column 1 to 5 relating to rows falling under sr. no. 10A. of the following table shall be inserted namely.-

Sr. No.	Purpose	Amount	Rule	Section
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10A.	Conducting test of a vehicle for grant and renewal of certificate of fitness for motor vehicles older than 15 years.		62(2)	
	(a) Motor Cycle	Manual: Four hundred rupees Automated: Eight hundred rupees		
	(b) Three wheeled or Light Motor Vehicle or Quadricycle	Manual: Eight hundred rupees Automated: Twelve hundred rupees		
	(c) Medium or Heavy Motor Vehicle	Manual: Twelve hundred rupees Automated: Two thousand rupees		
	(d) Any other type/Category of Vehicle	Manual: Eight hundred rupees Automated: Twelve hundred rupees		

(5) In the TABLE, in the second column of the Sr. No 11., after the words namely "Grant or renewal of certificate of fitness for motor vehicle vehicles", at the end words "up to 15 years old" shall be inserted;

(6) In the TABLE,after the entries in column 1 to 5 relating to rowfalling under sr. no. 11., the entries in column 1 to 5 relating to rows falling under sr. no. 11A.ofthe following table shall be inserted namely.-

Sr. No.	Purpose	Amount	Rule	Section
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11A.	Grant or renewal of certificate of fitness for motor vehicle vehicles older than 15 years.	Four hundred rupees **Note**: Additional fee of fifty rupees for each day of delay after expiry of certificate of fitness shall be levied.	62(2)	

[F. No. RT-11028/02/2019-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide notification number ……..dated

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2019.07.26 11:44:16 +05'30'